महाराष्ट्र शासन
सांस्कृतिक कार्य विभाग
महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी

दुरध्वनी : ०२२-२२६७२५३९
ई-मेल: mhsahityaacademy@gmail.com

ओल्ड कस्टम हाऊस, विकास विभाग इमारत, दुसरा मजला,
शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई - ४०० ००१.

==

वर्ष २०२६-२०२७ के लिए पुरस्कार योजना, पुस्तक प्रकाशन अनुदान योजना और ग्रंथालय अनुदान योजना हेतु प्रविष्टियां आमंत्रित

महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष २०२६-२७ के लिए दिए जानेवाले अखिल भारतीय सन्मान जीवनगौरव पुरस्कार, ४ साहित्य/वाङ्मय पुरस्कार और अन्य ४ पुरस्कार, ऐसे कुल ९ पुरस्कार, पुस्तक प्रकाशन अनुदान और ग्रंथालय अनुदान के लिए प्रविष्टियाँ आमंत्रित की जा रही हैं ।

महाराष्ट्र राज्य में १५ वर्ष स्थायी निवासी रचनाकार उपरोक्त योजनाओं के लिए प्रविष्टियाँ भेज सकते हैं। प्रविष्टियाँ **मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी, दुसरी मंजिल, पुराना जकात घर, विकास विभाग इमारत, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई-४०० ००१** इस पते पर **दिनांक ३१ अगस्त, २०२६** को शाम **५.३०** बजे तक स्वीकार की जायेंगी। उपर्युक्त योजना से संबंधित अधिक जानकारी, नियम, आवेदन पत्र www.maharashtra.gov.in और www.mahasahitya.org इस संकेतस्थल पर उपलब्ध है ।

नियम और शर्तें

वर्ष **२०२६-२७** के वाङ्मय पुरस्कार के लिए **दि. ०१ जनवरी २०२३ से दि. ३१ दिसंबर २०२५** के बीच प्रकाशित कृतियां पात्र रहेंगी।

लेखक एक से अधिक श्रेणी में अपनी कृति भेज सकते हैं। परंतु, किसी एक ही कृति को पुरस्कार देय होगा। पुरस्कार प्राप्त करने पर लेखक आगामी दो वर्ष तक उस श्रेणी में पुरस्कार के लिए प्रविष्टियाँ नहीं दे सकेंगे। डी लिट, पीएचडी, एम फिल के शोध प्रबंध, संपादित संकलन तथा अभिनंदन ग्रंथ पुरस्कार के लिए मान्य नहीं होंगे। आवेदन पत्र, जीवनवृत्त, पुस्तक की तीन प्रतियाँ, लेखक का एक पासपोर्ट आकार का फोटो, महाराष्ट्र राज्य में १५ वर्ष निवास का प्रमाणपत्र, आधार कार्ड की छायाप्रति, बैंक पासबुक के पहले पन्ने की छायाप्रति/रद्द किया हुआ धनादेश के साथ प्रविष्टियाँ **दिनांक ३१ अगस्त, २०२६ को शाम ५.३० बजे तक** स्वीकार की जाएँगी । अंतिम तारीख के बाद प्राप्त प्रविष्टियों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

Note: वर्ष २०२३ और २०२४ में प्रकाशित हुई पुस्तकों के लिए और अन्य योजना के लिए जिन साहित्यकारोंने फरवरी २०२६ में प्रकाशित विज्ञापन के तहत २०२५-२६ के पुरस्कार के लिए पहले ही आवेदन कर दिया है और जिनका परीक्षण बाकी है, उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। उनका आवेदन पत्र एवं पुस्तकें वर्ष २०२६-२७ के पुरस्कार और अन्य योजना के परीक्षण के लिए भी विचाराधीन रहेंगी।

दि. ०१/०८/२०२६

Sd/-
सदस्य सचिव
महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी

अ) पुरस्कार योजना

इस योजनातंर्गत सिंधी भाषा के लेखक, साहित्यिकों को विभीन्न साहित्य प्रकार में ९ पुरस्कार प्रदान किए जाते है। इस योजना के लिए निम्नलिखीत स्वरुप में पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।

अ. क्र.	पुरस्कार का नाम	पुरस्कार संख्या	पुरस्कार की राशी
१.	अखिल भारतीय जीवन गौरव सन्मान पुरस्कार	१	२,००,०००/-
२.	सिंधी भाषा के लिखीत पुस्तक/ ग्रंथ को साहित्य /वाङ्मय पुरस्कार	४	(प्रति पुरस्कार रु. १,००,०००/-) कुल रु. ४,००,०००/-
३.	पत्रकारिता पुरस्कार	१	रु. ५०,०००/-
४.	अनुवाद पुरस्कार	१	रु. ५०,०००/
५.	काव्य पुरस्कार	१	रु. ५०,०००/
६.	नवोदित साहित्यिक पुरस्कार	१	रु. ५०,०००/
	पुरस्कार संख्या	९	

पुरस्कार योजना के लिए योग्यता :

१. अखिल भारतीय जीवन गौरव सन्मान पुरस्कार :

सिंधी साहित्य जगत में प्रदीर्घ समय से सिंधी भाषा के विकास - उत्थान के लिए जिनका विशेष योगदान रहा हो, ऐसे वरीष्ठ साहित्यिक को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।

- सिंधी भाषा में महत्वपूर्ण साहित्यिक कृतियों की रचना करनेवाले लेखक/ साहित्यकार इस पुरस्कार के लिए पात्र हैं।
- पुरस्कार्थी का साहित्यिक क्षेत्र में श्रेष्ठत्व सिध्द् होना चाहिए।
- पुरस्कार्थी का महाराष्ट्र राज्य में कम से कम १५ वर्ष निवास आवश्यक है। अधिवास प्रमाणपत्र (Domicile Certificate) अनिवार्य है।

२. साहित्य /वाङ्मय पुरस्कार :

काव्य, उपन्यास, कहानी, निबंध, समीक्षा, अनुवाद, विज्ञान कथा और सिंधी भाषा के विवीध स्वरुप मे गत ३ वर्ष में प्रकाशीत कृतियों कों इस पुरस्कार के लिए चुना जाएगा।

- पुरस्कारार्थी का कर्तृत्व सिंधी साहित्य क्षेत्र में वादातीत होना आवश्यक है। गत ३ वर्ष में उनका ग्रंथ / पुस्तक प्रसिध्द् आवश्यक है।
- पुरस्कारार्थी का महाराष्ट्र राज्य में कम से कम १५ वर्ष निवास आवश्यक है। अधिवास प्रमाणपत्र (Domicile Certificate) अनिवार्य है।

३. पत्रकारिता पुरस्कार :

पत्रकारीता क्षेत्र में सिंधी भाषा में उल्लेखनीय कार्य करनेवाले व्यक्ती को यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।

- पत्रकारिता क्षेत्र में पुरस्कारार्थी लगभग ५ वर्षो से सक्रीय होना चाहीए।

- पुरस्कारार्थी का महाराष्ट्र राज्य में कम से कम १५ वर्ष निवास आवश्यक है । अधिवास प्रमाणपत्र (Domicile Certificate) अनिवार्य है ।

४. अनुवाद पुरस्कार :

यह पुरस्कार मराठी भाषा से सिंधी भाषा में तथा सिंधी भाषा से मराठी भाषा में अनुवादीत कृति की रचना करनेवाले साहित्यिक को प्रदान किया जाएगा । गत ३ वर्ष में प्रकाशित कृतियों कों इस पुरस्कार के लिए चुना जाएगा ।

- पुरस्कार्थी का महाराष्ट्र राज्य में कम से कम १५ वर्ष निवास आवश्यक है । अधिवास प्रमाणपत्र (Domicile Certificate) अनिवार्य है ।

५. काव्य पुरस्कार :

सिंधी साहित्य काव्य प्रकार में विशेष योगदान देनेवाले रचनाकार तथा कवियों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा । गत ३ वर्ष में प्रकाशीत कृतियों कों इस पुरस्कार के लिए चुना जाएगा ।

- पुरस्कार्थी का महाराष्ट्र राज्य में कम से कम १५ वर्ष निवास आवश्यक है । अधिवास प्रमाणपत्र (Domicile Certificate) अनिवार्य है ।

६. नवोदित साहित्यिक पुरस्कार :

उत्कृष्ट सिंधी साहित्य / वाङ्मय कृती के निर्माण हेतू नवोदित साहित्यकारों को प्रोत्साहन देने के लिए नवोदित साहित्यकार की रचनाओं को यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।

- पुरस्कारार्थी का महाराष्ट्र राज्य में कम से कम १५ वर्ष निवास आवश्यक है । अधिवास प्रमाणपत्र (Domicile Certificate) अनिवार्य है ।

सर्वसाधारण नियम :

पुरस्कार योजना के लिए सर्वसाधारण नियम निम्ननुसार है।

- जीवनगौरव पुरस्कार प्रतिवर्ष १ व्यक्ती को दिया जाएगा ।
- जिस साहित्यकार को एक क्षेत्र में पुरस्कार मिल चुका है, उन्हे उसी क्षेत्र में अगले २ वर्ष तक पुरस्कार नहीं दिया जाएगा । किंतू वे दुसरे क्षेत्र के लिए आवेदन कर सकते है।
- साहित्यकार एक से अधिक श्रेणी में अपनी कृति भेज सकते है, किंतू किसी एक वर्ष में एक ही कृति को पुरस्कार दिया जाएगा।
- डी.लिट, पी.एच.डी, एम.फिल का शोधप्रबंध, संपादित तथा अभिनंदन ग्रंथ पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होंगे।
- वाङ्मय पुरस्कार के लिए दि. ०१ जनवरी २०२३ से दि. ३१ दिसंबर २०२५ के बीच प्रकाशित कृतियां स्वीकार की जायेंगी।
- पुरस्कार घोषणा संबंध में महाराष्ट्र शासन का निर्णय अंतिम रहेगा ।

महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी के सन २०२६-२७ के

पुरस्कार हेतु आवेदन पत्र

प्रति,

मा. अध्यक्ष,

महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी.

विषय : -- पुरस्कार के लिए प्रविष्टि.

संदर्भ : अकादमी द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति दिनांक : ०१/०८/२०२६.

महोदय,

महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी की पुरस्कार योजनांतर्गत मैं अपनी प्रकाशित कृति की ३ प्रतियां संलग्न प्रेषित कर रहा हूँ। एतद् सम्बन्धी विवरण निम्ननुसार है।

१. शीर्षक : --

२. विधा प्रकार : --

३. प्रकाशन अवधि : --

मैं यह प्रमाणित करता हूं कि -

१. यह मेरी मौलिक कृति है।
२. मेरी उक्त पुस्तक में साम्प्रदायिकता सम्बन्धी कोई अंश नहीं है।
३. मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मैं १५ वर्ष से महाराष्ट्र राज्य का निवासी हूँ।
४. मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि मुझे इस पुस्तक के लिए अन्य अकादमी, राज्य अथवा केंद्र सरकार से पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है।
५. विश्वविद्यालय या अन्य परीक्षा सम्बन्धी यह शोधग्रंथ नहीं है।
६. मैने पुरस्कार संबन्धी सभी नियम पढ़ लिए हैं और उन्हें मैं मान्य करता हूँ/करती हूँ।

भवदीय,

(नाम :------------------------------)

संलग्न :-

१. जीवनवृत्त
२. पुस्तक की तीन प्रतियां (३ प्रतियां)
३. १५ वर्ष महाराष्ट्र में स्थायी निवास प्रमाणपत्र (डोमिसाइल) की छायाप्रति.
४. आधार कार्ड की छायाप्रति.
५. बैंक पासबुक के पहले पन्ने की छायाप्रति / रद्द किया हुआ धनादेश.
६. पॅनकार्ड की छायाप्रति.

<u>जीवनवृत्त</u>

पासपोर्ट आकार
का नवीनतम
फोटो

१. नाम : ---

२. जन्म तिथि : --

३. सम्पूर्ण पत्ता : --

----

४. ई-मेल : --

५. फोन/ मो.नं. : --

६. व्यवसाय : ---

७. शैक्षणिक अर्हता : --

८. प्रकाशित साहित्य : --

(सूची अलग से जोड़ सकते हैं)

९. अबतक प्राप्त पुरस्कारों का विवरण : ---

(सूची अलग से जोड़ सकते हैं)

१०. अन्य उपलब्धियां : ---

११. अन्य विशेष जानकारी : ---

(स्वाक्षरी : --------------------------------)

(नाम : -----------------------------------)

ब) पुस्तक प्रकाशन अनुदान योजना :

योजना का उद्देश्य :

सिंधी भाषा में उत्कृष्ट लेखन को बढावा देना तथा सिंधी साहित्यकारों की कृतियों को प्रकाशित करना और उस साहित्य को सृजनशील पाठकवर्ग तक लेकर जाने के लिए इस योजना का प्रारंभ किया गया है।

योजना का स्वरुप, पात्रता, नियम :

- साहित्यकारों को अकादमी कार्यालय में पूर्णत: विवरण आवेदनपत्र के साथ साहित्यकृति की २ प्रतियां स्वच्छ हस्तलिखित/ टंकणित रुप में भेजना आवश्यक है ।
- साहित्यकारों को पुस्तक के प्रकाशन के लिए अनुमानित अंदाज खर्च का विवरण (Estimate) आवेदनपत्र के साथ जोडना आवश्यक है ।
- चुनी हुई हस्तलिखीत साहित्यकृति के प्रकाशन की व्यवस्था लेखक को खुद करनी होगी अथवा प्रकाशन संस्थाव्दारा पुस्तक छपवाने की प्रक्रिया करवानी होगी।
- पुस्तक प्रकाशन अनुदान प्रदान करने के बाद पुस्तक का प्रकाशन निर्धारित समय में आवश्यक है ।
- साहित्यकृति प्रकाशित होने के बाद उसकी २५ प्रतियाँ विनामूल्य अकादमी को देना आवश्यक है ।
- साहित्यिक कृति का प्रकाशन करते समय पुस्तक के प्रथम पृष्ठ पर निम्नलिखित संदेश सिंधी लिपी (देवनागरी और अरेबिक दोनो लिपी) में प्रकाशित करना अनिवार्य है ।

इस किताब का प्रकाशन महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी के "पुस्तक प्रकाशन अनुदान योजना" के तहत प्राप्त अनुदान के सहयोग से किया गया है ।

- साहित्यकार / लेखक की साहित्यकृति को एकबार अनुदान प्राप्त होने के उपरांत अगले ५ साल के लिए उसी लेखक को पुस्तक प्रकाशन का अनुदान नहीं दिया जाएगा ।
- महाराष्ट्र राज्य में १५ साल से निवास कर रहे सिंधी साहित्यकार पात्र होंगे। (अधिवास प्रमाणपत्र आवश्यक है ।)
- किसी भी निजी संस्था, राज्यशासन और केंद्र सरकार के अनुदान से प्रकाशित होनेवाली किताब को इस योजनातंर्गत अनुदान का लाभ नहीं मिलेगा ।
- यह अनुदान केवल मूल (Original) साहित्यकृति को ही मिलेगा । पुन:मुद्रण अथवा बाद में प्रकाशित कृति को अनुदान नहीं मिलेगा ।
- आवेदन पत्र में गलत जानकारी दी गई तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी साहित्यकार की होगी और ऐसे साहित्यकार को दिया गया अनुदान अकादमी द्वारा वापस लिया जाएगा और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

- इस योजना के तहत अनुदान मंजूरी के लिए अकादमी का निर्णय अंतिम होगा। अनुदान मंजूरी न मिलने पर कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा और प्राप्त पांडुलिपी वापस नहीं की जाएगी।
- साहित्य क्षेत्र में निम्नलिखीत साहित्य प्रकार इस योजना के लिए पात्र होंगे ।
  कविता, उपन्यास, कहानी, जीवनी-आत्मकथा, समीक्षा, लोकसाहित्य, निबंध, लघुकथा, नाटक/ एकांकिका, ललित और बालसाहित्य आदि।

अनुदान का स्वरुप :

- अकादमी की समितिव्दारा जिस साहित्यकृति को अनुदान मंजूर हुआ हो, उस साहित्यकृति के प्रकाशन के लिए साहित्यकार व्दारा जोडे हुए अनुमानित खर्च में उल्लेखित खर्च की ५०% राशि अथवा रु. २०,०००/- इसमें जो राशि कम रहेगी वह राशि अनुदान के स्वरुप में प्रदान की जाएगी ।

महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी के सन २०२६-२७ के

पुस्तक प्रकाशन अनुदान हेतु आवेदन पत्र

प्रति,

मा. अध्यक्ष,

महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी.

विषय : पुस्तक प्रकाशन अनुदान के लिए प्रविष्टि

संदर्भ : अकादमी द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति दिनांक : ०१/०८/२०२६.

महोदय,

महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी की पुस्तक प्रकाशन अनुदान योजनांतर्गत मैं अपनी हस्तलिखित कृति की २ प्रतियां संलग्न प्रेषित कर रहा/रही हूँ, एतद् सम्बन्धी विवरण निम्ननुसार है।

१. शीर्षक : ---

२.विधा प्रकार : --

मैं यह प्रमाणित करता/करती हूं कि -

१. यह मेरी मौलिक कृति है।
२. मेरी उक्त पांडुलिपि में साम्प्रदायिकता सम्बन्धी कोई अंश नहीं है।
३. मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मैं १५ वर्ष से महाराष्ट्र राज्य का निवासी हूँ।
४. मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ की मुझे इस पांडुलिपि के लिए अन्य अकादमी, राज्य अथवा केंद्र सरकार से अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है।
५. विश्वविद्यालय या अन्य परीक्षा सम्बन्धी यह शोधग्रंथ नहीं है।
६. मैने पुस्तक प्रकाशन अनुदान सम्बन्धी सभी नियम पढ़ लिए हैं और उन्हें मैं मान्य करता हूँ/करती हूँ।

भवदीय,

(नाम : ------------------------------)

संलग्न :-

१. जीवनवृत्त
२. पांडुलिपि की दो प्रतियां (२ प्रतियां)
३. १५ वर्ष महाराष्ट्र में स्थायी निवास प्रमाणपत्र (डोमिसाइल) की छायाप्रति.
४. आधार कार्ड की छायाप्रति.
५. बैंक पासबुक के पहले पन्ने की छायाप्रति / रद्द किया हुआ धनादेश.
६. पुस्तक प्रकाशन खर्च अंदाजपत्रक (Estimate)
७. पॅनकार्ड की छायाप्रति.

जीवनवृत्त

पासपोर्ट आकार
का नवीनतम
फोटो

१. नाम : ---

२. जन्म तिथि : --

३. सम्पूर्ण पत्ता : --

----

४. ई-मेल : --

५. फोन/ मो.नं. : --

६. व्यवसाय : ---

७. शैक्षणिक अर्हता : --

८. प्रकाशित साहित्य : --

(सूची अलग से जोड़ सकते हैं)

९. अबतक प्राप्त पुरस्कारों का विवरण : ---

(सूची अलग से जोड़ सकते हैं)

१०. अन्य उपलब्धियां : --

११. अन्य विशेष जानकारी : ---

(स्वाक्षरी :-----------------------------)

(नाम :----------------------------------)

क) ग्रंथालय अनुदान योजना

योजना का उद्देश्य :

सिंधी पुस्तकें और साहित्य के माध्यमद्वारा सिंधी साहित्य का प्रचार और प्रसार होने की संभावना अधिक मात्रा में होने के कारण ग्रंथालयों को सिंधी किताबें खरेदी करने के लिए इस योजनातंर्गत अनुदान प्रदान किया जाता है ।

योजना का स्वरुप और नियम :

- ग्रंथालयोंद्वारा सिंधी भाषा की पुस्तकें खरेदी करने लिए पुस्तकों की सुची देना आवश्यक है ।
- पुस्तकोंकी सुची में पुस्तक का नाम, लेखक का नाम, साहित्य प्रकार, प्रकाशन संस्था का नाम, प्रकाशन वर्ष, और पुस्तक की किंमत आदि विवरण जोडना आवश्यक है ।
- यह अनुदान ग्रंथालयों को केवल सिंधी भाषा के पुस्तकें खरीदी करने के लिए प्रदान किया जाएगा
- इस योजना के तहत पुस्तके खरेदी करने के लिए नवलकथा, कविता, नाटक, निबंध, ललितकथा, विवेचन, चिंतन, साहित्यिक संपादन, आदि साहित्य प्रकार का समावेश आवश्यक है किंतू साहित्येत्तर पुस्तकें जैसे: पाककृती, वैद्यकिय, अथवा शालेय पाठयक्रम, औद्योगिक क्षेत्रसे जुडे किताबों की खरेदी के लिए अनुदान प्रदान नहीं किया जाएगा ।
- अनुदान से खरीदी किताब के पहले और अंतिम पन्नेपर निम्नलिखीत मजकूर सिंधी भाषा में रबर स्टँम्प से छपवाना अनिवार्य है ।

यह किताब महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी के ग्रंथालय अनुदान योजना के तहत प्राप्त अनुदान के सहयोग से खरेदी कि गई है ।

- जिन ग्रंथालयों को पुस्तक खरीदी करने के लिए अनुदान प्राप्त हुआ हो, उन संस्थाओं ने पुस्तके खरीदी करने के बाद देयकों की झेरॉक्स प्रतियां सनदी लेखापाल के स्वाक्षरी और स्टँम्प सहीत अकादमी कार्यालय को जमा करने के उपरांत ही उन ग्रंथालयों कों अगले साल के लिए अनुदान की माँग की जा सकेगी ।
- ग्रंथालय अनुदान के लिए पर्याप्त अनुदान उपलब्धता के अभाव में अकादमीद्वारा प्रकाशित और अकादमी के पुस्तक प्रकाशन अनुदान योजना में से प्रकाशित पुस्तके पात्र ग्रंथालयों कों वितरीत की जाएंगी । इस संबंध में अकादमी का निर्णय अंतिम होगा ।

पात्रता नियम :

- पंजीकृत संस्थाद्वारा संचलित मुफ्त सेवा प्रदान करनेवाले ग्रंथालय को ही इस योजना का लाभ मिलेगा ।
- निजी अथवा व्यावसायिक तत्व पर चलनेवाले ग्रंथालय इस योजना के तहत पात्र नहीं होंगे ।

अनुदान का स्वरुप :

- हर साल रु. २०,०००/- से रु. २५,०००/- तक मुल्य के किताबों की खरीदी के लिए यह अनुदान राशी प्रदान की जाएगी।

महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी के सन २०२६-२७ के
ग्रंथालय अनुदान हेतु आवेदन पत्र

प्रति,

मा. अध्यक्ष,

महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी.

विषय : ग्रंथालय अनुदान के लिए प्रविष्टि

संदर्भ : अकादमी द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति दिनांक ०१/०८/२०२६.

महोदय,

महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी की ग्रंथालय अनुदान योजनांतर्गत मैं / हमारी संस्था इस आवदेन पत्र के साथ प्रस्ताव संलग्न प्रेषित कर रहा / रही हूँ। एतद् सम्बन्धी विवरण निम्ननुसार है।

१. ग्रंथालय का नाम : ---

२. ग्रंथालय का स्थापना वर्ष : ---

३. संस्था का नाम :--
(जिसके द्वारा ग्रंथालय चलाया जा रहाहै)

४. ग्रंथपाल का नाम :--

५. ग्रंथालय सदस्य संख्या/वाचक संख्या :---

६. सम्पूर्ण पत्ता : ---

----

७. ई-मेल : --

८. फोन / मो.नं.: --

मैं यह प्रमाणित करता / करती हूँ कि -

१. मैं यह प्रमाणित करता / करती हूँ कि यह ग्रंथालय १५ वर्ष से महाराष्ट्र राज्य में कार्यरत है।
२. मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ / करती हूँ की मुझे इस ग्रंथालय को अकादमी, राज्य अथवा केंद्र सरकार से अनुदान प्राप्त नहीं हआ है।
३. मैंने ग्रंथालय अनुदान सम्बन्धी सभी नियम पढ़ लिए है और उन्हें मैं मान्य करता हूँ / करती हूँ।

भवदीय,

(नाम:---------------------------------)

(रबर स्टॅम्प)

संलग्न :-

१. ग्रंथालय का पंजीकृत प्रमाणपत्र.
२. बैंक पासबुक के पहले पन्ने की छायाप्रति / रद्द किया हुआ धनादेश.
३. पॅन कार्ड की छायाप्रति.
४. पुस्तकों की सूची.